संख्या-09/2025/001-3164607(1)/12-2002/8/2021

प्रेषक,

ओम प्रकाश वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 20 मार्च, 2025

विषय:-वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-107-वनस्पति संरक्षण-04-विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण योजनान्तर्गत पुनर्विनियोग के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-कृ0र0 1678/लेखा/कीट रोग योजना/2024-25, दिनांक 20 दिसम्बर, 2024 एवं पत्र संख्या-कृ0र0 1976/लेखा/कीट रोग योजना/2024-25, दिनांक 27 जनवरी, 2025 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 की अनुदान संख्या-011 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 107-वनस्पति संरक्षण, 04-विभिन्न पारिस्थितिकी संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण योजना के मानक मद 27-सब्सिडी में प्राविधानित धनराशि रूपये 1550.00 लाख के सापेक्ष हो रही बचत से रूपये 412.034 लाख एवं अनुदान संख्या-011 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 107-वनस्पति संरक्षण, 03-पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा योजना के मानक मद 01-वेतन में प्राविधानित धनराशि रू0 11394.590 के सापेक्ष हो रही बचत से रू0 29.406 लाख अर्थात कुल बचत 441.440 लाख से अनुदान संख्या-011 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-107-वनस्पति संरक्षण-04-विभिन्न पारिस्थितिकी संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण योजना के मानक मद 42-अन्य व्यय में रूपये 156.750 लाख, 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय में रूपये 283.800 लाख एवं 58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान में रूपये 0.890 लाख अर्थात कुल धनराशि रूपये 441.440 लाख (रूपये चार करोड़ इकतालीस लाख चौवालिस हजार मात्र) की अतिरिक्त धनराशि को विभागीय बचतों से संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 (भाग-1) के अनुसार पुनर्विनियोग किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध

1. आउटसोर्स मानव संसाधन के सम्बन्ध में भुगतान से पूर्व इनकी संख्या, आवश्यकता, सक्षम स्तर के निर्णय तथा अन्य सुसंगत तथ्यों के सम्बन्ध में समस्त प्रकार का उत्तरदायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश का होगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
3. बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य आपके द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. जिस योजना/मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसमें चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

5. जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद/कार्यो में आहरित कर व्यय की जायेगी।

6. जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

7. प्रस्ताव में आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व आपका होगा।

8. वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व प्रशासकीय विभाग के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है।

9.जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

11.व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन आपके द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

12.स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/ 2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 एवं इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत अन्य दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2401001070400 (विभिन्न परिस्थितिकी संसाधनों द्वारा कीट / रोग नियंत्रण)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**प्रस्तावित धनराशि**
1	011	2401001070400 विभिन्न परिस्थितिकी संसाधनों द्वारा कीट / रोग नियंत्रण	42 अन्य व्यय	1,56,75,000 (रुपये एक करोड़ छप्पन लाख पचहत्तर हजार मात्र)
2	011	2401001070400 विभिन्न परिस्थितिकी संसाधनों द्वारा कीट / रोग नियंत्रण	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	2,83,80,000 (रुपये दो करोड़ तिरासी लाख अस्सी हजार मात्र)
3	011	2401001070400 विभिन्न परिस्थितिकी संसाधनों द्वारा कीट / रोग नियंत्रण	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	89,000 (रुपये नवासी हजार मात्र)
	कुल			**4,41,44,000**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

				(रुपये चार करोड़ इकतालीस लाख चौवालीस हजार मात्र)

महायोग	4,41,44,000 (रुपये चार करोड़ इकतालीस लाख चौवालीस हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
ओम प्रकाश वर्मा
विशेष सचिव।

संख्या-09/2025/001-3164607(2)/12-2002/8/2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/समस्त् कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,उ0प्र0।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
गुन्जन दुबे
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

वी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A012-20242025-3164607 2024 12 2002 8 2021

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म 107 वनस्पति सरक्षण 04-विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट रोग नियंत्रण योजना हेतु पुनर्विनियोग प्रस्ताव।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
011	2401001070400 (विभिन्न परिस्थितिकी संसाधनों द्वारा कीट / रोग नियंत्रण)	27 (सब्सिडी)	15,50,00,000 रुपये पन्द्रह करोड़ पचास लाख मात्र	4,12,03,400 रुपये चार करोड़ बारह लाख तीन हजार चार सौ मात्र	-4,12,03,400 रुपये चार करोड़ बारह लाख तीन हजार चार सौ मात्र	41203400 -	11379660 0 -	2024-2025
011	2401001070300 (पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा)	01 (वेतन)	1,13,94,59,000 रुपये एक अरब तेरह करोड़ चौरानवे लाख उनसठ हजार मात्र	29,40,600 रुपये उनतीस लाख चालीस हजार छह सौ मात्र	-29,40,600 रुपये उनतीस लाख चालीस हजार छह सौ मात्र	2940600 -	11365184 00 -	2024-2025

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शीर्ष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
011	2401001070400 (विभिन्न परिस्थितिकी संसाधनों द्वारा कीट / रोग नियंत्रण)	42 (अन्य व्यय)	60,00,000 रुपये साठ लाख मात्र	1,56,75,000 रुपये एक करोड़ छप्पन लाख पचहत्तर हजार मात्र	15675000 -	21675000 -	2024-2025
011	2401001070400 (विभिन्न परिस्थितिकी संसाधनों द्वारा कीट / रोग नियंत्रण)	58 (आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान)	1,00,000 रुपये एक लाख मात्र	89,000 रुपये नवासी हजार मात्र	89000 -	189000 -	2024-2025
011	2401001070400 (विभिन्न परिस्थितिकी संसाधनों द्वारा कीट / रोग नियंत्रण)	44 (प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय)	40,00,000 रुपये चालीस लाख मात्र	2,83,80,000 रुपये दो करोड़ तिरासी लाख अस्सी हजार मात्र	28380000 -	32380000 -	2024-2025

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

1- स्तम्भ-2 में उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-3 में अंकित वचत निम्नलिखित कारणों से है:-

अ- 27-सब्सिडी मद में पूर्ण व्यय सम्भव न होने के कारण वचत है।

01-वेतन मद में पद रिक्त होने के कारण बचत है।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है।

ब- मानक मद 42-अन्य व्यय, 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय में किसान खेत स्कूल के माध्यम से आई0पी0एम0 प्रशिक्षण कम प्रदर्शन के लिए धनराशि आवश्यकता से कम उपलब्ध होने के कारण एवं 58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान में सेवा प्रदाता के कार्यरत कार्मिक के भुगतान हेतु आवश्यकता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है ।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर संख्या-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

बजट-I-573 दि० 17 मार्च 2025

संख्या: आर ई-< 1 > -2024-25, दिनांक- ~~दिसंबर, 2024~~

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

Gunjan Dubey
(गुन्जन दुबे)
अनु सचिव।

Signed by
Dr. Ramesh Chandra Tiwari
Date: 12-03-2025 14:51:41

संख्या: 3164607 2024 12 2002 8 2021 दिनांक- दिसंबर, 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
3- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
4- वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (वी0एम0-9 तीन प्रतियों में)।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1
8- गार्ड बुक।

30/12/2024
30/12/2024

आज्ञा से
Gunjan Dubey
30.12.2024
(गुन्जन दुबे)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है ।